

(भारतकेराजपत्रभाग||, खण्ड-3, उपखण्ड (i)में प्रकाशनार्थ)

भारतसरकार

स्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालय

अधिसूचना

नईदिल्ली, तारीख : 19, 07, 2017

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (हिंदी अनुवादक एवं कनिष्ठ हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक एवं वरिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (क) इन नियमों का नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक एवं वरिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2017 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 1 में यथानिनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ब्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अहताएँ- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरहता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञा है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सेनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पर्दों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अध्यक्ष अचयन पद	सीधे भर्ती विए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
कनिष्ठ अनुबादक	3* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अमरजपत्रित, *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन मैट्रिक्स में (35400-112400) लेवल-6	लागू, नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समयसमय पर जारी किए गए अनुदर्शों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तकशिविल की जा सकती है।)	टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए नियाचक तरीय आरत में अड्डाखियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, असमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति ज़िले तथा चम्बा-ज़िले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार दर्तीप या लक्षदीप के अम्बर्धियों के अनुसंदेश के लिए विहित की गई है।)

<p>सीधे अर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहिताएं।</p>	<p>सीधे अर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होनी या नहीं।</p>	<p>परिवेश की अवधि, यदि कोई हो।</p>
<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री अथवा</p>	<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री</p>	<p>दो वर्ष।</p>
<p>(7)</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>(8)</p>

और

हिन्दू से अंग्रेजी में और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त हिप्पोमा अथवा प्रमाणपत्र अथवा केन्द्र या गण्ड सरकार, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम शामिल हैं, में हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण-1 : अर्हताएं अन्यथा सुअहितअध्ययित्यों की दशा में सदस्य प्राधिकारी के विवेकानुसार करणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं शिथित की जा सकती हैं।

टिप्पण -2 अनुभव संबंधी अर्हताएं सदस्य प्राधिकारी के विवेकानुसार करणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दशा में तब शिथित की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सदस्य प्राधिकारी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को अपने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समदायों के अध्ययित्यों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

<p>अर्थ की पढ़ति : अर्थ सीधे होगी या प्रोन्नति प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन विक्षिप्त या पढ़तियों द्वारा अरी सिक्तियों की प्रतिशतता।</p>	<p>प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा अर्थ की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>किस परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(10)</p>	<p>सीधी अर्थी द्वारा।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>
<p>टिप्पणी: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अश्वार तंबे समय से बीमार होने अथवा अर्द्धयन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो:-</p> <p>(क) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारित किए हए हों और कॉलम (7) में सीधे अर्थी होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहंताएं और अनुभव रखते हों।</p>	<p>प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>विभागीय पुष्टि समिति:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल अध्यक्ष 2. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वारक्ष्य सेवा महानिदेशालय के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य 3. उपनिदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य 4. सहायक निदेशक (राजभाषा), सफदरजंग अस्पताल -सदस्य 	

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अस्थायी अवधारणा पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु भीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ अनुवादक	1* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'छ' अराजपत्रित, अननुसन्धित कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन मैट्रिक्स में चयन (44900-142400) लेवल-7	चयन लागू नहीं होता	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएंप्रोफेन्ट हो। अर्हताएं।	परिवेश की अवधि, यदि कोई विजिन्न पदियों द्वारा भरी जाने वाली विजिन्न विकासी की प्रतिष्ठानता।	पदोन्नति : भर्ती सीधे होगी या प्रोफेन्टि द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विजिन्न पदियों द्वारा भरी जाने वाली विजिन्न विकासी की प्रतिष्ठानता।
(7)	(8)	(10)

<p>प्रोन्नति /प्रतिनियुक्तिअमेलन द्वारा अर्ती की दशा में ब्रेणिया जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।</p> <p>(11)</p> <p>वेतन मैट्रिक्समें लेवल 6 में कानिष्ठ अनुबादक से पदोन्नति जिसने उस ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा के साथ की हो और स्वारूप्य सेवा महानिदेशालय के हिस्से अनुभाग में अनुबादक के रूप में चार सचाह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पणी-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ऊर्ज्ञ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब उबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवेक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनराक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्त्वानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>प्रदानी प्राप्ति विकल्प/अमेलन द्वारा अर्ती की दशा में किस परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।</p> <p>(11)</p> <p>उसकी संरचना ।</p> <p>(12)</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर चिकित्सा अधीकारक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अस्पताल अनुबाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य 3. उपनिदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य <p>(13)</p> <p>वार्ष. नहीं होता।</p>
---	--

अधिसूचना

नईदिल्ली, तारीख 19, 07, 2019

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, हिंदी अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (क) इन नियमों का नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2017 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 1 में यथानिनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा घेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अहंताएँ- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरहता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अधिकार	सीधे अर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, लेवल-10 *कार्यभार के अनुनासिचिय आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन मैट्रिक्स में (56100-177500)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे अर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शेषिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे अर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विवित आयु और शेषिक अहंताप्रोत्तनत व्यक्तियों की दशा में लागू होनी या नहीं।	परिवेशा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	एक वर्ष।

<p>अर्ती की पद्धति : अर्ती संधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा अर्ती की दशा में दे जेपिया जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विक्षिळन पद्धतियाँ द्वारा अरी जाने वाली रिक्विट्यों की प्रतिशतता ।</p>	<p>प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा अर्ती की दशा में दे जेपिया जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।</p>
<p>(10)</p> <p>सामासिक पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)-सह- पदोन्नति]: संविदा सहित) सह- पदोन्नति</p>	<p>(11)</p> <p>सामासिक पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)-सह- पदोन्नति]: संविद्या सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या संवायत या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काइरविभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काइर या विभाग में वेतन ऐट्रिक्स में लेवल 6 अध्यवा समकक्ष पदों पर नियमित नियमित के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से दियी स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से दियी स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से दियी स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ हिन्दी या अंग्रेजी से बिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से दियी स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा</p>

के माध्यम के रूप में अंग्रेजीके साथ हिन्दी या अंग्रेजी से जिन्ना किसी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर हिन्दी

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा रत्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इनमें से कोई परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा अनिवार्य या वैल्कल्पिक विषय के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से जिन्ना किसी विषय में मास्टर डिप्लोमा या अनुवार्य या अनुच्छेदी या अनुबोध सरकार या राज्य सरकार या अंग्रेजी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का 3 वर्ष का अनुभव जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्री या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक देश के उपकरणों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध अथवा शोधिक संस्थानोंमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी।

अथवा

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्री या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों में हिन्दी और अंग्रेजी शिक्षण का अथवा हिन्दी या अंग्रेजी में शोध कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

वेतन बैंड-2, 9300-34800 + 4600 रु. ग्रेड वेतन में ऐसे विभागीय रेण्ट अनुबोधक, जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो, पर भी अन्य आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा और इस पद पर उनके चयनित हो जाने पर पद को पदोन्नति देवारा भरा हुआ माना जाएगा।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित विन्ही अन्य काइर बाह्य पर्दों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के द्विर अधिकतम आयु³ सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ता करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
<p>विभागीय पुस्ति समिति-</p> <ol style="list-style-type: none"> अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष चिकित्सा अस्पताल अजमाऊ, रवास्त्रय सेवा महानिदेशालय के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य उपनिदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल सदस्य सहायक निदेशक (राजभाषा), सफदरजंग अस्पताल -सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p> <p>(ए. 11018/09/2008-आरआर)</p>

(संजय पंत)
अवर सचिव, भारत सरकार